भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 950**

13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

**विषय: धान की बुवाई रकबे में कमी**

950. श्री रघु राम कृष्ण राजू:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:
श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:
श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में धान की बुवाई के रकबे में कमी की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है और किसान संगठन यह आरोप लगाते रहे हैं कि पानी की कमी और कम वर्षा के अतिरिक्त उच्च लागत, विशेषकर उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि धान की खेती के क्षेत्रफल में कमी का मुख्य कारण है, तथा विगत पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में तिलहन, गन्ना और अन्य कृषि वस्तुओं सहित दलहन और अरहर दाल की खेती मामूली रूप से कम हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि धान की खेती के क्षेत्रफल में 22.90 लाख हैक्टेयर की कमी आई है जो कि वर्ष 2021 में आच्छादित क्षेत्र से 5.62 प्रतिशत कम है;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन पहलुओं पर किए गए शोध और उन पर की-गई-कार्रवाई सहित प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) विगत रबी एवं वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान धान की बुआई एवं उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) वर्तमान मौसम के दौरान धान के लिए एमएसपी में कम वृद्धि ने देश में धान की बुवाई को किस हद तक प्रभावित किया है?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) धान, दलहन, तिलहन और अन्य वाणिज्यिक फसलों सहित विभिन्न फसलों की बुआई, मौसम की स्थितियों, वर्षा की स्थिति, सिंचाई सुविधाओं, अंतर-फसल लाभदेयता, मृदा की स्थिति, अन्य प्रतिस्पर्धी फसलों से बेहतर लाभप्रदता की अपेक्षा इत्यादि पर निर्भर करती है। हालांकि, देश में 2017-18 से

खाद्यान्नों और तिलहनों के तहत क्षेत्र में वृद्धि हुई है। विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-।** में दिया गया है।

(ख) और (ग) 2022-23 (प्रथम अग्रिम अनुमान) के दौरान खरीफ धान के तहत क्षेत्र खरीफ 2021-22 (चौथ अग्रिम अुनमान) के दौरान 411.16 लाख हेक्टेयर की तुलना में 3.73 लाख हैक्टेयर (0.91%) की मामूली सी गिरावट दर्ज करते हुए 407.43 लाख हैक्टेयर अनुमानित है। इसके अलावा, खरीफ 2022-23 के दौरान धान का क्षेत्र, धान के तहत औसत खरीफ क्षेत्र 397.06 लाख हैक्टेयर (विगत पांच वर्ष) की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त, विगत पांच वर्षों के दौरान धान के तहत क्षेत्र का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-।** में दिया गया है।

(घ) पिछले रबी मौसम और वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान धान (चावल के रूप में) की बुआई और उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-।।** में संलग्न है।

(ङ) सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2022-23 के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर धान (सामान्य) और धान (ग्रेड ए) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रमश: ₹ 2040/- प्रति क्विंटल और ₹ 2060/- प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग सुनिश्चित करने और एमएसपी के संबंध में उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

**<u>अनुबंध-I</u>**

**दिनांक 13/12/2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चावल (000 हैक्टेयर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22* |
| आंध्र प्रदेश | 2156.00 | 2208.00 | 2300.10 | 2323.50 | 2245.00 |
| असम | 2433.71 | 2425.18 | 2290.52 | 2360.47 | 2356.00 |
| बिहार | 3306.98 | 3159.72 | 2886.40 | 3020.86 | 3095.54 |
| छत्तीसगढ़ | 3761.10 | 3606.00 | 3666.00 | 3791.00 | 3759.00 |
| गुजरात | 856.00 | 838.95 | 904.35 | 906.63 | 892.03 |
| हरियाणा | 1422.00 | 1447.00 | 1447.00 | 1327.20 | 1281.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 71.61 | 71.81 | 72.62 | 68.46 | 68.46 |
| झारखंड | 1735.41 | 1527.10 | 1357.73 | 1411.00 | 1445.00 |
| कर्नाटक | 993.00 | 1139.05 | 1185.00 | 1397.10 | 1397.90 |
| केरल | 189.10 | 198.03 | 198.18 | 205.04 | 195.74 |
| मध्य प्रदेश | 2035.00 | 2391.00 | 2016.00 | 2117.00 | 2109.00 |
| महाराष्ट्र | 1451.00 | 1464.94 | 1552.99 | 1560.57 | 1678.20 |
| ओडिशा | 3766.39 | 3859.42 | 3940.71 | 4038.24 | 3941.66 |
| पंजाब | 3065.00 | 3103.00 | 2920.00 | 2928.00 | 2969.00 |
| राजस्थान | 190.64 | 197.81 | 219.52 | 231.47 | 196.46 |
| तमिलनाडु | 1828.91 | 1721.26 | 1907.41 | 2036.24 | 2205.47 |
| तेलंगाना | 1962.00 | 1932.00 | 2011.00 | 3186.40 | 3654.90 |
| उत्तर प्रदेश | 5814.00 | 5748.00 | 5737.00 | 5678.00 | 5702.00 |
| उत्तराखंड | 252.00 | 256.00 | 247.00 | 254.00 | 257.00 |
| पश्चिम बंगाल | 5115.80 | 5512.57 | 5490.98 | 5585.63 | 5595.54 |
| अन्य# | 1368.40 | 1349.61 | 1311.80 | 1341.88 | 1334.47 |
| अखिल भारत | 43774.07 | 44156.45 | 43662.30 | 45768.69 | 46379.36 |

* - चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार

# - अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव, पुदुचेरी शामिल हैं।

**अनुबंध-I**

**दिनांक 13/12/2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | गेहूँ (000 हैक्टेयर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22* |
| बिहार | 2101.31 | 2156.65 | 2150.18 | 2222.50 | 2238.76 |
| छत्तीसगढ़ | 101.36 | 105.12 | 109.80 | 160.13 | 156.12 |
| गुजरात | 1059.00 | 797.16 | 1018.00 | 1017.00 | 1040.00 |
| हरियाणा | 2440.00 | 2553.10 | 2533.90 | 2564.00 | 2304.70 |
| हिमाचल प्रदेश | 318.87 | 319.00 | 286.00 | 333.15 | 333.15 |
| झारखंड | 220.96 | 163.85 | 214.78 | 232.76 | 227.56 |
| कर्नाटक | 193.00 | 150.10 | 150.00 | 203.00 | 165.00 |
| मध्य प्रदेश | 5316.00 | 5520.00 | 6551.00 | 6083.00 | 6500.00 |
| महाराष्ट्र | 1024.00 | 834.40 | 1056.97 | 1126.20 | 1168.50 |
| पंजाब | 3512.00 | 3520.00 | 3521.00 | 3530.40 | 3524.00 |
| राजस्थान | 2810.00 | 2880.00 | 3118.00 | 3002.00 | 2580.00 |
| उत्तर प्रदेश | 9753.00 | 9540.00 | 9853.00 | 9852.00 | 9420.00 |
| उत्तराखंड | 333.00 | 327.00 | 316.00 | 312.00 | 298.00 |
| पश्चिम बंगाल | 117.00 | 112.15 | 188.31 | 193.27 | 220.51 |
| अन्य# | 351.08 | 340.26 | 290.08 | 293.74 | 287.11 |
| अखिल भारत | 29650.59 | 29318.79 | 31357.02 | 31125.16 | 30463.40 |

* - चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार

# - अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव, पुदुचेरी, ओडिशा और असम शामिल हैं।

**अनुबंध-I**

**दिनांक 13/12/2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | तूर (000 हैक्टेयर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22* |
| आंध्र प्रदेश | 279.00 | 250.00 | 243.00 | 231.00 | 252.00 |
| असम | 5.61 | 5.55 | 5.83 | 6.04 | 6.00 |
| बिहार | 18.49 | 17.10 | 16.75 | 14.60 | 12.99 |
| छत्तीसगढ़ | 57.71 | 67.53 | 51.16 | 45.36 | 43.44 |
| गुजरात | 271.00 | 254.35 | 212.70 | 241.02 | 250.84 |
| झारखंड | 193.68 | 231.04 | 230.56 | 235.39 | 253.64 |
| कर्नाटक | 885.00 | 1482.95 | 1545.00 | 1631.00 | 1719.00 |
| मध्य प्रदेश | 647.00 | 213.00 | 249.00 | 219.00 | 370.20 |
| महाराष्ट्र | 1240.70 | 1261.30 | 1195.50 | 1274.02 | 1335.00 |
| ओडिशा | 137.89 | 144.06 | 128.63 | 129.69 | 126.06 |
| पंजाब | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | 1.40 |
| राजस्थान | 12.45 | 9.66 | 8.86 | 7.77 | 7.34 |
| तमिलनाडु | 49.23 | 41.38 | 41.81 | 47.33 | 48.21 |
| तेलंगाना | 330.00 | 296.00 | 295.00 | 325.70 | 314.00 |
| उत्तर प्रदेश | 282.00 | 251.00 | 285.00 | 296.00 | 290.00 |
| उत्तराखंड | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| पश्चिम बंगाल | 4.50 | 3.61 | 4.85 | 4.49 | 3.29 |
| अन्य # | 17.45 | 15.72 | 13.82 | 11.23 | 12.04 |
| अखिल भारत | 4438.31 | 4549.54 | 4532.47 | 4724.45 | 5048.45 |

* - चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार

# - अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, केरल और हरियाणा शामिल हैं।

**अनुबंध-I**

**दिनांक 13/12/2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल दलहन (000 हैक्टेयर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22* |
| आंध्र प्रदेश | 1408.00 | 1326.00 | 1252.00 | 1244.00 | 1227.00 |
| असम | 154.71 | 150.23 | 143.96 | 142.30 | 159.00 |
| बिहार | 476.01 | 479.37 | 457.39 | 448.93 | 436.43 |
| छत्तीसगढ़ | 789.26 | 745.79 | 757.84 | 645.80 | 657.81 |
| गुजरात | 908.00 | 661.95 | 902.37 | 1397.47 | 1761.55 |
| हरियाणा | 72.20 | 72.00 | 69.66 | 87.57 | 125.32 |
| हिमाचल प्रदेश | 28.46 | 27.86 | 28.40 | 34.05 | 34.09 |
| झारखंड | 793.05 | 742.78 | 791.48 | 848.34 | 855.20 |
| कर्नाटक | 3023.70 | 3356.66 | 3111.50 | 3126.01 | 3188.00 |
| मध्य प्रदेश | 7480.00 | 6600.00 | 4757.20 | 4867.00 | 5587.30 |
| महाराष्ट्र | 4209.00 | 4002.23 | 4192.37 | 4528.92 | 5216.70 |
| ओडिशा | 772.89 | 718.15 | 746.79 | 778.79 | 828.92 |
| पंजाब | 30.20 | 29.50 | 33.50 | 32.00 | 61.00 |
| राजस्थान | 5329.74 | 5907.62 | 6339.60 | 6145.45 | 6408.50 |
| तमिलनाडु | 824.71 | 850.54 | 823.56 | 802.91 | 802.23 |
| तेलंगाना | 572.00 | 511.00 | 517.00 | 591.70 | 588.00 |
| उत्तर प्रदेश | 2262.00 | 2291.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2434.00 |
| उत्तराखंड | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 63.00 | 59.00 |
| पश्चिम बंगाल | 457.93 | 462.81 | 480.78 | 465.34 | 445.69 |
| अन्य# | 159.30 | 160.49 | 151.92 | 153.74 | 154.15 |
| अखिल भारत | 29813.16 | 29155.97 | 27987.31 | 28783.32 | 31029.88 |

* - चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार

# - अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव, पुदुचेरी और केरल शामिल हैं।

**अनुबंध-I**

**दिनांक 13/12/2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल खाद्यान्न (000 हैक्टेयर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22* |
| आंध्र प्रदेश | 4144.00 | 4023.00 | 4089.10 | 4074.50 | 3966.00 |
| असम | 2642.97 | 2629.83 | 2487.66 | 2558.24 | 2570.00 |
| बिहार | 6586.47 | 6495.52 | 6183.15 | 6359.43 | 6448.76 |
| छत्तीसगढ़ | 4884.99 | 4674.66 | 4735.49 | 4804.45 | 4761.54 |
| गुजरात | 3737.00 | 3187.66 | 3759.15 | 4230.29 | 4594.35 |
| हरियाणा | 4458.20 | 4557.90 | 4591.38 | 4595.14 | 4225.77 |
| हिमाचल प्रदेश | 724.91 | 732.62 | 701.94 | 727.03 | 726.84 |
| झारखंड | 3067.08 | 2711.02 | 2637.43 | 2811.02 | 2833.24 |
| कर्नाटक | 7647.70 | 7659.02 | 7709.10 | 8235.11 | 7989.30 |
| मध्य प्रदेश | 17042.00 | 16352.00 | 15246.09 | 15014.00 | 16171.30 |
| महाराष्ट्र | 10926.30 | 9621.60 | 11026.24 | 11345.88 | 11666.90 |
| ओडिशा | 4665.44 | 4708.57 | 4829.13 | 4978.46 | 4973.75 |
| पंजाब | 6729.90 | 6769.40 | 6595.80 | 6604.50 | 6665.40 |
| राजस्थान | 14236.98 | 14811.20 | 15809.60 | 15556.35 | 14706.55 |
| तमिलनाडु | 3538.58 | 3495.94 | 3692.41 | 3819.58 | 3962.56 |
| तेलंगाना | 3245.00 | 3056.00 | 3194.00 | 4145.10 | 4733.00 |
| उत्तर प्रदेश | 19800.00 | 19493.00 | 19949.00 | 19933.00 | 19551.00 |
| उत्तराखंड | 851.00 | 835.00 | 805.00 | 809.00 | 788.00 |
| पश्चिम बंगाल | 5944.66 | 6361.32 | 6471.57 | 6612.34 | 6638.93 |
| अन्य# | 2651.09 | 2601.68 | 2481.29 | 2581.59 | 2557.28 |
| अखिल भारत | 127524.29 | 124776.93 | 126994.53 | 129795.01 | 130530.46 |

* - चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार

# - अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव, पुदुचेरी और केरल शामिल हैं।

**अनुबंध-I**

**दिनांक 13/12/2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल तिलहन (000 हैक्टेयर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22* |
| आंध्र प्रदेश | 825.53 | 857.00 | 755.00 | 942.00 | 909.00 |
| असम | 314.23 | 308.88 | 310.82 | 309.65 | 312.00 |
| बिहार | 102.86 | 100.20 | 113.49 | 115.27 | 116.42 |
| छत्तीसगढ़ | 266.51 | 260.27 | 220.99 | 198.32 | 156.45 |
| गुजरात | 2758.00 | 2560.43 | 2867.69 | 3356.10 | 3324.02 |
| हरियाणा | 559.20 | 625.40 | 659.00 | 671.57 | 740.04 |
| झारखंड | 416.75 | 334.05 | 368.14 | 513.60 | 494.85 |
| कर्नाटक | 1099.00 | 949.21 | 1014.00 | 1209.40 | 1245.80 |
| मध्य प्रदेश | 6642.00 | 6654.00 | 7470.00 | 8204.00 | 7495.00 |
| महाराष्ट्र | 4134.10 | 4457.49 | 4526.22 | 4724.88 | 5094.00 |
| ओडिशा | 148.85 | 137.49 | 137.24 | 145.73 | 171.76 |
| राजस्थान | 4136.85 | 4363.41 | 5422.72 | 5192.04 | 5759.62 |
| तमिलनाडु | 380.35 | 390.21 | 409.31 | 473.62 | 428.65 |
| तेलंगाना | 374.00 | 321.00 | 339.00 | 335.00 | 380.00 |
| उत्तर प्रदेश | 1087.00 | 1233.00 | 1262.30 | 1197.00 | 1207.00 |
| पश्चिम बंगाल | 946.28 | 927.21 | 957.95 | 935.49 | 956.53 |
| अन्य# | 316.39 | 315.05 | 305.42 | 310.03 | 375.66 |
| अखिल भारत | 24507.90 | 24794.31 | 27139.29 | 28833.69 | 29166.79 |

* - चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार

# - अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव, पुदुचेरी, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं।

**अनुबंध-I**

**दिनांक 13/12/2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | गन्ना (000 हैक्टेयर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22* |
| आंध्र प्रदेश | 99.00 | 102.00 | 86.00 | 55.00 | 47.00 |
| असम | 30.56 | 31.20 | 29.70 | 30.50 | 30.00 |
| बिहार | 233.77 | 225.57 | 223.89 | 221.12 | 211.15 |
| छत्तीसगढ़ | 24.10 | 32.75 | 35.18 | 31.55 | 34.94 |
| गुजरात | 182.00 | 154.77 | 160.94 | 219.26 | 222.96 |
| हरियाणा | 114.00 | 108.70 | 96.30 | 99.00 | 107.70 |
| हिमाचल प्रदेश | 1.87 | 1.70 | 1.60 | 1.47 | 1.47 |
| कर्नाटक | 370.30 | 471.20 | 429.00 | 443.00 | 637.00 |
| मध्य प्रदेश | 98.00 | 108.00 | 125.00 | 95.00 | 93.00 |
| महाराष्ट्र | 902.00 | 1162.80 | 822.40 | 1142.80 | 1232.30 |
| पंजाब | 96.00 | 95.00 | 91.00 | 89.30 | 87.10 |
| तमिलनाडु | 171.86 | 166.41 | 131.20 | 127.70 | 146.02 |
| तेलंगाना | 35.00 | 40.00 | 26.00 | 22.00 | 28.00 |
| उत्तर प्रदेश | 2234.00 | 2224.00 | 2208.00 | 2180.00 | 2177.00 |
| उत्तराखंड | 90.00 | 91.00 | 92.00 | 46.00 | 44.00 |
| पश्चिम बंगाल | 19.16 | 15.81 | 19.18 | 18.80 | 18.98 |
| अन्य# | 35.44 | 30.19 | 25.28 | 28.74 | 28.93 |
| अखिल भारत | 4737.06 | 5061.09 | 4602.68 | 4851.23 | 5147.55 |

* - चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार

# - अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव, पुदुचेरी, केरल, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं।

**अनुबंध-II**

**दिनांक 13/12/2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध**

चावल का उत्पादन और क्षेत्रफल

| राज्य | उत्पादन (000 टन) | | क्षेत्रफल (000 हैक्टेयर) | |
|---|---|---|---|---|
| | **2021-22#** | **2022-23^** | **2021-22#** | **2022-23^** |
| | **रबी** | **खरीफ** | **रबी** | **खरीफ** |
| आंध्र प्रदेश | 3414.5 | 5082.5 | 737.0 | 1584.0 |
| असम | 1080.7 | 4135.0 | 392.0 | 1973.0 |
| बिहार | 133.8 | 5990.7 | 60.0 | 2860.9 |
| छत्तीसगढ | 0.0 | 7702.8 | 0.0 | 4092.9 |
| गुजरात | 230.4 | 1980.7 | 73.9 | 849.7 |
| हरियाणा | 0.0 | 4754.1 | 0.0 | 1319.8 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.0 | 140.5 | 0.0 | 68.5 |
| झारखंड | 0.0 | 1221.8 | 0.0 | 737.4 |
| कर्नाटक | 1229.7 | 2989.4 | 389.9 | 946.0 |
| केरल | 162.9 | 139.1 | 45.5 | 50.4 |
| मध्य प्रदेश | 0.0 | 7031.7 | 0.0 | 3220.0 |
| महाराष्ट्र | 413.8 | 3034.6 | 129.0 | 1472.4 |
| ओडिशा | 1011.1 | 8603.5 | 296.6 | 3657.9 |
| पंजाब | 0.0 | 13377.9 | 0.0 | 3133.0 |
| राजस्थान | 0.0 | 633.3 | 0.0 | 231.2 |
| तमिलनाडु | 872.5 | 3224.3 | 191.3 | 893.7 |
| तेलंगाना | 4470.3 | 7683.3 | 1280.9 | 2359.0 |
| उत्तर प्रदेश | 90.1 | 12480.5 | 26.0 | 5778.0 |
| उत्तराखंड | 86.3 | 635.2 | 24.0 | 237.0 |
| पश्चिम बंगाल | 4557.5 | 11623.3 | 1310.0 | 4267.0 |
| अन्य | 778.8 | 2528.0 | 307.5 | 1011.2 |
| अखिल भारत | **18532.6** | **104992.1** | **5263.5** | **40743.0** |

# चौथा अग्रिम अनुमान ^ प्रथम अग्रिम अनुमान

*******